न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 84/2006

1. भवानीशंकर
2. छीतरलाल
3. धन्नालाल

पुत्रान किशोरीलाल जाति मीणा निवासी मूण्डला तह0 मांगरोल जिला बारां

......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार आर्य

दायरा दिनांकः 06.05.2005 निर्णय दिनांक : 30.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 26.06.1988 को सुगनसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी मूण्डली से आराजी खसरा नं0 119 रकबा 15 बीघा 4 बिसवा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। दौराने सेटलमेंट राजस्व कार्मिको ने नये खसरा नं0 56 रकबा 2.30 है0 खसरा नं0 219 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 2.49 है0 आराजी दर्ज की गयी है। सेटलमेंट राजस्व कार्मिको द्वारा प्रार्थीगण की 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर सिवायचक दर्ज कर दिया है। जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः वर्तमान खसरा नं0 56 रकबा 2.30 है0 खसरा नं0 219 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 2.49 है0 को साबिक खसरा नं0 119 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 06.05.2005 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/42

0.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि मुताबिक दी सम्वत 2057–60 खसरा नं0 56 रकबा 2.30 है0 खसरा नं0 219 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 बा 2.49 है0 भूमि छीतरलाल धन्नालाल भवानीशंकर पुत्र किशोरीलाल जाति माली के खाते दर्ज है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2034–37 में साबिक खसरा नं0 119 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का रकबा गत के मुकाबलें वर्तमान में 0.06 है0 भूमि अधिक दर्ज है। जिसको सिवायचक दर्ज किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम मूण्डली खसरा नं0 56 रकबा 2.30 है0 खसरा नं0 219 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 2.49 है0 को साबिक खसरा नं0 119 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा के अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2034–37 में ग्राम मूण्डली में साबिक खसरा नं0 119 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का रकबा गत के मुकाबलें वर्तमान में 0.06 है0 भूमि अधिक दर्ज है। जिसको सिवायचक दर्ज किया जाने की अनुशंषा की है। अतः तहसीलदार मांगरोल की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थीगण की आराजी में दौराने सेटलमेंट किसी प्रकार की कमी नही हुई हे अपितू रकबा 0.06 है0 बेशी पाया गया है। अतः बेशी रकबा 0.06 है0 को सिवायचक दर्ज किया जाकर खाते सरकार किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प रायथल मजमेंआम में सुनाया गया।